

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
--------	------	-----------


अभिलेख उपस्थापित। आवेदक तुंगीर तियु ,पिता-स्व० माटा तियु ग्राम-डिलियामार्चा, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- डिलियामार्चा, थाना नं०- 108 , खाता नं०- 62प्लॉट नं०- 587 रकवा- 0.10 एकड़ भूमि क्रेता सुनीता तियु ,पिता- तुंगीर तियु ,ग्राम- डिलियामार्चा ,थाना- मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के पंजी II में स्वयं के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-183 दिनांक- 22.02.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनवाने एवं ऋण चुकाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता सुनीता तियु ,पिता- तुंगीर तियु ,ग्राम- डिलियामार्चा के पास 3,00,000.00/- (तीन लाख) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अगिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेतातुंगीर तियु ,पिता-स्व० माटा तियु ग्राम-डिलियामार्च थाना- मुफसिल ,क्रेता सुनीता तियु ,पिता- तुंगीर तियु ,ग्राम- डिलियामार्चा थाना- मुफसिल के पास जमीन को कुल 3,00,000.00/- (तीन लाख)में मौजा- डिलियामार्चा, थाना नं०- 108, खाता नं०- 62प्लॉट नं०- 587 रकवा- 0.10 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की दी जाती है।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा